

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग / Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन / Anushakti Bhavan,
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई / Mumbai - 400 001
इ-मेल / Email: sectcord@dae.gov.in

No.GF/89-SCS | 8571

Dated:06-07-2018


पृष्ठांकन / ENDORSEMENT

**विषय : Grant of Advance - Amendment to Rule 80 of Compendium
Subject : of Rules on Advances to Government Servants - regarding.**

उपरोक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 20-06-2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(1)/2016-EII(A) की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।

A copy of the Office Memorandum No.12(1)/2016-EII(A) dated 20-06-2018 received from Ministry of Finance, New Delhi on the captioned subject is forwarded for information and necessary action.

संलग्न : यथोपरि / Encl.: As above


(जी. वेंकटेशन / G. Venkatesan)
अवर सचिव / Under Secretary
(022-22862540)

**पऊवि के सभी संघटक इकाईयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक प्रधा
All Administrative Heads of Constituent Units/PSUs/Aided Institutions of DAE.**

प्रतिलिपि / Copy also to:

पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग / All Officers & Sections in DAE Secretariat.

सचिव, स्टाफ साइड, पऊवि विभागीय परिषद् / Secretary, Staff Side, DAE Departmental Council.

गार्ड फाइल संख्या / Guard File No.GF/89.

F.N. 12(1)/2016-EII(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.II(A) Branch

North Block, New Delhi
20th June, 2018

Office Memorandum

Sub: Grant of Advance - Amendment to Rule 80 of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

The undersigned is directed to say that in pursuance of a reference received from the Department of Personnel & Training regarding the demand raised by the Staff Side in the National Council (JCM), the existing provisions of Compendium of Rules on Advances - Rule 80 - relating to Amount of Advances to the families of Government Servants who die while in Service, are retained and amended, as per attached annexure.

2. These orders will take effect from the date of issue of this Office Memorandum. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.

3. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

4. All the Ministries/ Departments are requested to bring the amendments to the notice of all its attached and subordinate offices for their information.

Hindi version of this Office Memorandum is enclosed.


(H. Atheli)
Director

To

- All the Ministries/ Departments of the Government of India, etc.
- Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list.

**AMENDMENTS TO COMPENDIUM OF RULES ON ADVANCES TO
GOVERNMENT SERVANTS, 2005**

Rule 80. Amount of Advance: The amount of an advance which may be granted under Rule 79 shall not exceed Rs.25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only).

सं. 12(1)/ई.II(ए)/2016

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग


नई दिल्ली, 20 जून, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिमों का प्रदान किया जाना - सरकारी सेवकों के लिए अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह के नियम 80 में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठायी गयी मांग के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसरण में, ऐसे सरकारी सेवकों, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवारों के लिए अग्रिमों की राशि के संबंध में अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार संग्रह के नियम 80 के मौजूदा प्रावधान संलग्न अनुबंध के अनुसार कायम रखे जाते हैं और संशोधित किए जाते हैं।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।


(एच. अथेली)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति प्रेषित (अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

**सरकारी कर्मचारियों को अग्रिमों से संबंधित नियमों के
सार - संग्रह में संशोधन, 2005**

नियम 80. अग्रिम की राशि: नियम 79 के तहत प्रदान किए जाने वाले किसी अग्रिम की राशि 25,000 रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) से अधिक नहीं होगी।